संख्या-24/2025/001-403-12-5002-1-2025

प्रेषक,

विनोद कुमार वर्मा,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कृषि निदेशक
उत्तर प्रदेश,
कृषि भवन, लखनऊ।

कृषि अनुभाग-5 **लखनऊ : दिनांक 28 मार्च, 2025**

विषयः- वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु अनुदान संख्या-83 के लेखाशीर्षक 2402-मृदा एवं जल संरक्षण, 789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, 89-केन्द्र प्रायोजित योजनाओं का संगत राज्यांश, 8911-नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग योजनान्तर्गत पुनर्विनियोग के माध्यम से वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक-भू०सं०/बाढ़ो०यो०/770/पुनर्विनियोग/NMNF/2024-25, दिनांक 12 मार्च, 2025 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु अनुदान संख्या-83 के लेखाशीर्षक 2402-मृदा एवं जल संरक्षण, 789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, 89-केन्द्र प्रायोजित योजनाओं का संगत राज्यांश, 8911-नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग योजना के मानक मद 27-सब्सिडी में धनराशि रू० 4.84 लाख (रूपये चार लाख चौरासी हजार मात्र) की संलग्न प्रपत्र बी०एम०-9(भाग-1) पर वित्त विभाग द्वारा आवंटित **आर.ई.संख्या–बजट-1-850, दिनांक 28 मार्च, 2025** में प्रदत्त सहमति के अनुसार पुनर्विनियोग किये जाने की स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है :-

नियम व शर्ते / प्रतिबन्धों

1. स्वीकृत धनराशि का व्यय राज्य सरकार तथा भारत सरकार द्वारा अनुमोदित कार्ययोजना के अनुसार योजना की गाइडलाइन्स का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।
2. योजनान्तर्गत केन्द्रांश अवमुक्त किये जाने विषयक भारत सरकार के पत्र दिनांक 10.03.2025 में दिये गये दिशा-निर्देशों का पूर्णतः अनुपालन किये जाने का दायित्व कृषि निदेशक, उ०प्र० का होगा।
3. बचत की धनराशि एवं व्यय की जाने वाली धनराशि का औचित्य सुनिश्चित किये जाने का उत्तरदायित्व कृषि निदेशक, उ०प्र० का होगा।
4. जिस मद से पुनर्विनियोग किया जा रहा है उसमें चालू वित्तीय वर्ष में अतिरिक्त धनराशि की मांग नहीं की जायेगी।
5. जिस प्रयोजन हेतु धनराशि की मांग की जा रही है उसी मद / कार्यों में आहरित कर व्यय की जायेगी।
6. जिस मद में पुनर्विनियोग किया जा रहा है उसका सदुपयोग इसी वित्तीय वर्ष में कर लिया जायेगा।
7. प्रस्ताव में आंकडों की शुद्धता का पूर्ण उत्तरदायित्व कृषि निदेशक, उ०प्र० का होगा।
8. व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
9. स्वीकृत धनराशि का आहरण वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024, दिनांक 04 मार्च, 2024 एवं कार्यालय-ज्ञाप संख्या-4/2024/बी-1-607/दस-2024-231/2024, दिनांक 19 जून, 2024 में उल्लिखित दिशा-निर्देशो/प्राविधानों के अनुसार कोषागार से

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

आहरित कर योजना के S.N.A. एकाउन्ट में रखे जाने के संबंध में कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। साथ ही उक्त शासनादेश दिनांक 04.03.2024 एवं इस संबंध में समय-समय पर निर्गत अन्य शासनादेशों में दिये गये निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 4,84,000 (रुपये चार लाख चौरासी हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 083 **लेखा शीर्षक** 2402007898911 नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग **मानक मद** 27 सब्सिडी के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024, दिनाँक 04 मार्च, 2024 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,
विनोद कुमार वर्मा
अनु सचिव।

संख्या-24/2025/001-403-12-5002-1-2025, तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
3. प्रधान महालेखाकार प्रथम/द्वितीय-(सिविल/आडिट), उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
4. कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
5. वित्त नियंत्रक, कृषि भवन, लखनऊ।
6. समस्त जनपदीय कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश द्वारा कृषि निदेशक उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
7. वित्त (व्यय-नियंत्रण), अनुभाग-1/नियोजन अनुभाग-3
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
विनोद कुमार वर्मा
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

बी एम-9 (भाग - 1)
पुनर्विनियोग के लिए आवेदन / स्वीकृति
(संदर्भ : बजट मैनुअल का प्रस्तर- 158)
A012-20242025-12-5002-1-2025

विषय:- वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु अनुदान संख्या-83 के लेखाशीर्षक 2402-मृदा एवं जल संरक्षण, 789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, 89-केन्द्र प्रायोजित योजनाओं का संगत राज्यांश, 8911-नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग योजनान्तर्गत पुनर्विनियोग के माध्यम से वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

निम्नलिखित निधियों से प्रस्तावित संक्रमण

अनुदान संख्या	लेखाशीर्ष	मानक मद	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध अनुदान / विनियोग	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध बचत	संक्रमित की जाने वाली धनराशि	वित्त विभाग द्वारा संक्रमण हेतु अनुमोदित धनराशि	संक्रमण के पश्चात शेष अनुदान / विनियोग	वित्तीय वर्ष
083	2402007898911 (नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग)	11 (सेवन सामग्री और फार्मों की छपाई)	1,67,000 रुपये एक लाख सड़सठ हजार मात्र	1,67,000 रुपये एक लाख सड़सठ हजार मात्र	-1,67,000 रुपये एक लाख सड़सठ हजार मात्र	167000 -	0.00 -	2024-2025
083	2402007898911 (नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग)	08 (कार्यालय व्यय)	1,67,000 रुपये एक लाख सड़सठ हजार मात्र	1,67,000 रुपये एक लाख सड़सठ हजार मात्र	-1,67,000 रुपये एक लाख सड़सठ हजार मात्र	167000 -	0.00 -	2024-2025
083	2402007898911 (नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग)	15 (गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद)	1,67,000 रुपये एक लाख सड़सठ हजार मात्र	1,67,000 रुपये एक लाख सड़सठ हजार मात्र	-1,50,800 रुपये एक लाख पचास हजार आठ सौ मात्र	150000 -	17000 -	2024-2025

निम्नलिखित निधियों से प्रस्तावित संक्रमण

अनुदान संख्या	लेखाशीर्ष	मानक मद	वित्तीय वर्ष के लिए उपलब्ध / विनियोग	संक्रमण हेतु प्रस्तावित धनराशि	वित्त विभाग द्वारा संक्रमण हेतु अनुमोदित धनराशि	संक्रमण के पश्चात शेष अनुदान / विनियोग	वित्तीय वर्ष
083	2402007898911 (नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग)	27 (सब्सिडी)	2,24,43,000 रुपये दो करोड़ चौबीस लाख तैंतालीस हजार मात्र	4,84,800 रुपये चार लाख चौरासी हजार आठ सौ मात्र	484000 -	22927000 -	2024-2025

कृपया उपरोक्त प्रस्ताव पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रशासनिक विभाग को अनुमोदन देना चाहे :-
1-स्तम्भ-3 में उपलब्ध अनुदान के सापेक्ष स्तम्भ-4 में अंकित बचत निम्नलिखित कारणों से है :-
अ- SNA SPARSH क्रियान्वयन होने के कारण अनुदान-83 के राज्यांश के प्राविधान में धनराशि केन्द्रांश में पुनर्विनियोग करने के कारण।
2-स्तम्भ-8 में उल्लिखित अनुदान के सापेक्ष स्तम्भ-9 में अंकित अधिक व्यय निम्नलिखित कारणों से है :-
अ- चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 में SNA SPARSH क्रियान्वयन होने के कारण अनुदान-83 के प्राविधान की धनराशि कम होने के कारण केन्द्रांश की अतिरिक्त धनराशि की आवश्यता है।
3-प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त पुनर्विनियोग में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर संख्या-150 व 151 में निर्दिष्ट प्रतिबन्धों/परिसीमाओं का उल्लंघन नहीं होता है।

बजट-1-850
संख्या: आर ई- 2024-25, दिनांक 28 मार्च, 2025

सेवा में,
महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम,
उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

(विनोद कुमार वर्मा)
अनु सचिव।

(रमेश चन्द्र तिवारी)
सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या- A012-20242025-12-5002-1-2025, दिनांक 28 मार्च, 2025

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

(1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
(2) महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
(3) प्रधान महालेखाकार (सिविल/आडिट) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
(4) वित्त नियंत्रक, कृषि निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
(5) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
(6) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 (बी0एम0-9 तीन प्रतियों में)।
(7) वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-1
(8) गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(विनोद कुमार वर्मा)
अनु सचिवा

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।